राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 631/2025

अनुराग मिश्रा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शहरी विकास एवं स्थानीय स्व शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव–III, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, स्थानीय स्व शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. अंकित गोयल सहायक टाउन प्लानर (नव नियुक्ति) वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर पदस्थापित।
6. रूबे सिंह, कार्यकारी सदस्य बीजेपी किसान मोर्चा, राजस्थान, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत की, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक नगर नियोजक के पद पर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 अंकित गोयल, सहायक नगर नियोजक नव नियुक्त कार्मिक है, जिसकी नियुक्ति दिनांक 24.09.2024 को हुई थी और उनको सहायक नगर नियोजक के पद पर कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर में पदस्थापित किया गया था और आदेश दिनांक 15.01.2025

के द्वारा अपीलार्थी को नगर परिषद, टोंक स्थानान्तरण किया गया है और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से स्थानांतरण किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक कारणों से किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के सदस्य द्वारा मंत्री महोदय को अपीलार्थी के स्थानांतरण के संबंध में पत्र लिखा गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पिता ह्रदय रोग से पीडित हैं और इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक कारणों से किया गया है, यह प्रकट नहीं होता है। चूंकि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक कारणों से जारी किया गया है और अपीलार्थी के स्थान पर नव नियुक्त परिवीक्षाधीन कार्मिक को लगाये जाने पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है और इस प्रकार इस आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण होना गलत नहीं माना जा सकता। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष